तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/7/21	पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी मीटिंग में भ्रमण/ स्थानान्तरण हो चुका है / अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 14/7/21 को प्रस्तुत हो।
14.7.21	पत्रावली पेश। वकलाय उभयी पक्षकार पेश नहीं हुए रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 15.7.21 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर
15/7/21	पत्रावली पेश। वकलाय उभयी बहस सुनी गई पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 26.7.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)
26.7.21	पत्रावली पेश। वकलाय उभयी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251-ए का अवलोकन किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास श्री राजकेश मीना आर.ए.एस

स्य प्रार्थना पत्र संख्या :– 221/2020

र्थीगण :–

1. श्री उम्मेदसिंह पुत्र उगमसिंह
2. श्री कानसिंह पुत्र नवलसिंह
3. श्री किशनकंवर पत्नी भंवरसिंह
4. श्री भोमकंवर पत्नी भूरसिंह
5. श्री राणुसिंह पुत्र भूरसिंह
6. श्री सवाईसिंह पुत्र भूरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण देउ तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

र्थीगण :–

1- श्री प्रेमसिंह पुत्र प्रभुदानसिंह
2- श्री बहादुरसिंह पुत्र प्रभुदानसिंह जातियान राजपूत निवासीगण देउ तहसील खींवसर जिला नागौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खीवसर

द्वितान अधिवक्तागण पक्षकारान
1. वकील प्रार्थी :– श्री लालसिंह राठौड़
2. वकील अप्रार्थीगण :– श्री मूलसिंह राठौड़

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आर.टी.एक्ट

आदेश

दिनांक : 26.07.2021

प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ स्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसका सक्षिंप्त सार इस प्रकार से है कि र्थीगण के खेत खसरा नबंर 360 रकबा 2.8975 हैक्टेयर व खसरा नबंर 362/1 रकबा 0.2428 क्टेयर मोजा देउ रहता चला आ रहा है मौजा देउ के खेत खसरा नबंर 362/1 के दक्षिणी तरफ ारा नबंर 362 रकबा 7.0577 हैक्टेयर स्थित है। इसके चिपते ही दक्षिणी तरफ ग्राम सरहद पुरा के खसरा नबंर 399 रकबा 23.3665 हैक्टेयर गैर मुमकिन पायतन व खसर नबंर 398 रकबा 318 हैक्टेयर गैर मुमकिन नाड़ी स्थित है। प्रार्थीगण अपने मवेशी भेड़ बकरी गाय भैस इत्यादि को ने व पानी लाने के लिए मौजा देउ के खसर नबंर 362 के पश्चिमी सीमा के किनारे से पायतन आवागमन पीढियों से करते आ रहे थे। तथा यहीं से सारे पशुधन, पानी का टेंकर लाये व ले ये करते थे।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

आज से पांच माह पूर्व अप्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नबंर 362 में से तालाब में जा रहे को बंद कर दिया। जिसे प्रार्थीगण को तालाब का पानी लाने व ले जाने के लि भारी समस्या ारी। दुसरे खेतों में से होकर पानी लाने को मजबूर है । इस कारण प्रार्थीगण को तालाब में गमन के लिए खसरा नबंर 362 की पश्चिमी सीमा से 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा में ये मार्क ए से बी तक घोषित करवाने के लिए यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश की निवेदन है कि मौजा देउके खसरा नबंर 360 ा 2.8975 हैक्टेयर व खसरा नबंर 362/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से मौजा माडपुरा के खसरा 399 व ,खसरा नबंर 398 में आवागमन हेतु खसरा नबंर 362 रकबा 7.0577 हैक्टेयर नजरी ा में मार्क ए से बी 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने एवं नक्शे में इन्द्राज कराने आदेश फरमावें एवं तहसीलदार को तहरीर जारी करवाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ दर्ज दजिस्टर किया जाकर र्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता र्थी की तरफ से श्री मूलसिंह राठौड़ ने वकालातनामा मय जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया ।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार खींवसर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार खींवसर ने ने में पत्रांक/कमांक/भू.अ./251 अ/2020/357 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट ुत कर निवेदन किया की प्रार्थी ने ख.न. 398,399 में जाने हेतु रास्ता चाहा है जबकि ख.न. ,399 ग्राम दुजासर ग्राम पचांयत माडपुरा कि पायतन व नाडी की भूमि है। प्रश्नगत रास्ते पर बन्दी हो रखी है प्रश्नगत रास्ता की आराजी खातेदारी नहीं होकर के सरकारी भूमि है। प्रार्थी देउ का निवासी है एवं खसरा नबंर 398,399 ग्राम दुजासर की सरकारी गैर मुमकिन नाडी व तन की भूमि है वादी की खातेदारी नहीं है। खसरा नबंर 360,362 वादी के खातेदारी के बीच में र सड़क है वादी के खसरा नबंर 398,399 दुजासर की सरकारी भूमि में जाने हेतु 251 अ के रास्ता चाहा है जो वादी की खातेदारी नहीं है आवेदन निरस्त योग्य है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस समायत की गई। अतः हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 में उल्लेखित रास्ता दिया जाने को दोनो बिन्दूओं को देखा जाना आवश्यक है की :–

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

खातेदार द्वारा रास्ते की मांग अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्तकार अपनी जोत के लिए कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए कर सकता है मगर अन्य किसी ार की सुविधा के लिए नहीं कर सकता है।

2. अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थीगण को आने जाने हेतु पायतन में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो तहसीलदार वसर की रिपोर्ट से ताईद है।

3. प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत रास्ता को साबित करने में असफल रहे है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं सीलदार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है र्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अपनी खातेदारी भूमि के लिए नहीं होकर सरकारी खसरे के लिए स्ता चाहा है जो पायतन एवं नाडी की भूमि है अन्तर्गत धारा 251 अ का प्रावधान कृषि कार्य हेतु न पर जाने हेतु रास्ता दिया जाने का प्रावधान है प्रार्थी द्वारा अंगोर भूमि पर जाने हेतु रास्ता मांगा ा जो अन्तर्गत धारा 251 अ में अनुमत नहीं है साथ ही नक्शे का विश्लेषण करने पर पायतन का क तरफ मुख्या मार्ग से जुड़ा हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

अतः यह स्पष्ट है कि रास्ते की प्रार्थीगण को कोई आवश्यकता नहीं है एवं रास्ते की मांग प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से की गई है क्योंकि प्रतिवादी ने प्रार्थीगण के खेत में से की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर रखा है और खातेदार द्वारा रास्ते की मांग अन्तर्गत धारा 251 अ राजस्थान कारी अधिनियम के तहत काश्तकार अपनी जोत के लिए कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए सकता है मगर अन्य किसी प्रकार की सुविधा के लिए नहीं कर सकता है। जबकि प्रार्थीगण को अन्य कार्य के लिए पायतन में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा गत रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता को साबित करने में असफल रहे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी जबाब पत्र मय प्रस्तुत दस्तावेजात, ीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 अ अस्वीकार योग्य होने की वजह से खारिज किया जाता है ।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करेगें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक : 26.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)